Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपीडी/टीए/11298/2002/चितोडगढ

1 रतनसिंह पुत्र पहाडसिंह राजपूत
2 गुमानसिंह पुत्र पहाडसिंह राजपूत
3 निर्भयसिंह पुत्र पहाडसिंह राजपूत
4 सोला पिता किशना चमार
5 दल्ला पिता किशना चमार
6 औंकार पिता किशना चमार
7 रामा पिता किशना चमार
8 भवंरसिंह पुत्र रतनसिंह राजपूत सभी निवासी दरीबा तहसील कपासन

अपीलार्थीगण

बनाम

औंकारसिंह पिता चतरसिंह राजपूत निवासी दरीबा तहसील कपासन

प्रत्यर्थी

खण्ड पीठ
श्री वी.निवास, अध्यक्ष
श्री मोडूदान देथा, सदस्य

उपस्थितः श्री मुकेश जैन वकील अपीलार्थीगण

निर्णय

दिनांकः.12.2.18

यह द्वितीय अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, चितोडगढ द्वारा प्रकरण संख्या 14/02 में पारित निर्णय दिनांक 2.9.2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी प्रत्यर्थी ने एक वाद प्रतिवादी अपीलार्थीगण के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, कपासन के न्यायालय में अधिनियम की धारा 88 व 188 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा दरीबा की आराजी खसरा नम्बर 1/1 रकबा 8 बीघा 12 बिस्वा, 40/1 रकबा 15 बीघा, 34/2 रकबा 16 बिस्वा एवं 37/2 रकबा 3 बिस्वा कुल

किता 4 रकबा 24 बीघा 11 बिस्वा वादीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी हैं। प्रवितादीगण अपीलार्थीगण का इस भूमि से कोई संबंध नहीं है परन्तु वे वादीगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करते हैं। अतः प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। प्रतिवादीगण ने जबाबदावा प्रस्तुत कर बताया कि आराजी खसरा नम्बर 1/1 के आधे भाग पश्चिम की तरफ पर प्रतिवादी संख्या 2 से 4 का कब्जा 40 साल से भी अधिक से हैं व प्रतिवादी संख्या 5,6 उनके सिजारी हैं। अतः वाद खारिज किया जावे। विचारण न्यायालय ने दावे व जबाबदावे के आधार पर अनुतोष सहित कुल 4 तनकियात कायम की एवं निर्णय दिनांक 28.11.2001 से वादीगण का वाद स्वीकार कर डिक्री कर दिया। इसके विरूद्ध प्रतिवादी अपीलार्थीगण ने राजस्व अपील प्राधिकारी, चितोडगढ के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की। राजस्व अपील प्राधिकारी, चितोडगढ ने निर्णय दिनांक 2.9.2002 से अपील खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि विवादित आराजीयात में से खसरा नम्बर 1/1 के आधी भूमि पर अपीलार्थीगण का कब्जा काश्त विगत 40 वर्षो से भी अधिक समय से चला आ रहा है। मौके पर इसका विभाजन हो रखा है एवं थोवर की बाड की हुई है। इस तथ्य को प्रतिवादी अपीलार्थी ने मौखिक साक्ष्यों से साबित कराया है। प्रतिवादी अपीालर्थी की साक्ष्य का खण्डन भी नहीं किया गया। वादी अपने वाद को साबित नहीं कर सके हैं। परन्तु अधीनस्थ न्यायालयों ने साक्ष्यों के विपरीत वाद डिक्री किया है। अतः यह अपील स्वीकार की जावे।

4. हमने विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित।

5. विचारण न्यायालय ने वादीगण को विवादित भूमि का खातेदार होना एवं काबिज होना मानते हुए तनकीवार विवेचन कर वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री किया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी समवर्ती निर्णय पारित करते हुए अपील खारिज की है।

6. पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत 2038 से 2041 में विवादित भूमि वादी चतरसिंह वर्तमान प्रत्यर्थी के पिता के खातेदारी में दर्ज है। वादी के गवाहान पी.डब्ल्यू. 1 से पी0डब्ल्यू. 4 ने विवादित भूमि पर वादी का कब्जा काश्त होना कथन किया है। प्रतिवादी अपीलार्थीगण ने विवादित आराजीयात पर उनका खसरा नम्बर 1/1 के आधे भाग पर विगत 40 वर्षो से कब्जा काश्त

होना कथन किया है। परन्तु उनके द्वारा ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे विवादित आराजी पर उनका कब्जा काश्त होना प्रमाणित करता हो। दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में मौखिक साक्ष्य का कोई महत्व नहीं है। प्रतिवादी अपीलार्थीगण द्वारा अपने कब्जे का कोई आधार भी साबित नहीं कराया गया है। ऐसी स्थिति में हम दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णय में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं एवं यह अपील खारिज करना उचित समझते हैं।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह अपील खारिज की जाती है एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, चितोडगढ का निर्णय दिनांक 2.9.2002 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोडूदान देथा)
सदस्य

(वी.श्रीनिवास)
अध्यक्ष